नईदुनिया
इंदौर, गुरुवार 11 अगस्त 2016
www.naidunia.com

# वायरस ट्रांसमीट भी है अपराध

**'वायरस'** शब्द हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा तब से बन गया है जब से हम कम्प्यूटर, लैपटॉप, फोन टेबलेट या दूसरे गैजेट्स इस्तेमाल करने लगे हैं। पेनड्राइव, हार्ड ड्राइव, सिडी या फ्लॉपी हम कहीं भी इस्तेमाल से पहले इसे किसी वायरस के अटैक से बचाने के बारे में पहले सोचते हैं। वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है, जिसे हम मालवेयर भी कहते हैं, जब यह किसी कम्प्यूटर सिस्टम में दाखिल होता है तो उसमें मौजूद दूसरे प्रोग्राम को नाकाम कर देता है। यह वायरस सिस्टम में मौजूद फाइल्स को कॉपी करता रहता है। इन मालवेयर के कई नाम होते हैं जैसे,वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, बैकडोर, रुटकीट, स्पायवेयर, एडवेयर या की लॉगर्स। जब ये आपके सिस्टम पर हमला करते हैं तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है जैसे आपकी फाइल्स डिलीट या करप्ट हो सकती है, कम्प्यूटर धीमा हो सकता है, हैंग हो सकता है या उसकी ड्राइव क्रैश हो सकती है, ऐसे डेटा डिलीट हो सकते हैं जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।

वरुण कपूर
आईपीएस

भारत में इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट-2008 में वायरस अटैक और उससे होने वाले नुकसान को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। सेक्शन 43 में इसे उल्लेखित करते हुए कहा है कि ऐसा कम्प्यूटिंग निर्देश, सूचना, डेटा या प्रोग्राम जो इसमें मौजूद फाइल्स को नुकसान पहुंचाए, उसे डीलिट करे या उसमें कोई परिवर्तन लाए वो इस सेक्शन के तहत परिभाषित होगा। इसके सेक्शन 43-सी में आगे कहा गया है जिसमें कम्प्यूटर मालिक की इजाजत के बिना उसके कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम या कम्प्यूटर नेटवर्क में घुपसैठ करना और ऐसा कोई भी प्रयास करना जिससे उसके डेटा, प्रोग्राम या फाइल को नुकसान पहुंचे या नष्ट हो, अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले को नुकसान की भरपाई करना होगी।

## ...तो होगी तीन साल की जेल

इसी तरह से एक्ट के सेक्शन 66 में ये साफ किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी या धोखाधड़ी से किए गए ऐसे अपराध की सजा कम से कम 3 साल की जेल या 5 लाख

रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इससे ये साफ हो गया है कि अनैतिक तरीके और दुर्भावना से से किसी कम्प्यूटिंग सिस्टम में वायरस डालना या उसका अटैक करना गंभीर अपराध है।

इस पूरे सेक्शन और अपराध को हम किसी उदाहरण से समझ सकते हैं। माना कि मेरे लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन है और कोई उसे मेरी बिना इजाजत के अपनी किसी ड्राइव में कॉपी कर लेता है यानी किसी ने चोरी की है, हैकिंग की है और उसे इसकी सजा मिलना चाहिए, लेकिन किसी ने मुझसे प्रेजेंटेशन की कॉपी मांगी और वो अपनी ड्राइव में उसे कॉपी करे तो उस केस में वो अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन कॉपी करते समय लैपटॉप में जो पेन ड्राइव लगाई हो और उसमें किसी तरह का वायरस हो तो जाहिर है यह मेरे लैपटॉप में फैल जाएगा और उसमें रखे डेटा के लिए खतरा बन जाएगा। साथ ही उससे अटैच दूसरी डिवाइस को भी नुकसान पहुचाएगा। तो क्या उसने ऐसा करके कोई अपराध किया है?

### किसी और के सिस्टम के इस्तेमाल में बरतें सावधानी

इस मामले का अध्ययन करते समय यह देखा जाएगा कि सिस्टम में पेनड्राइव लगाते समय क्या उसे पता था कि इसमें वायरस है? या वो इस बात से अनजान था और उसने वायरस वाली पेनड्राइव लैपटॉप में लगा दी। अगर यह जानबूझकर किया मया है तो जाहिर है इस केस में सेक्शन-66 लागू होगा जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल तक का है, लेकिन यह अनजाने में हुआ हो तो उसे साबित करना कठिन होगा। ऐसे में इस उदाहरण से हमें यह शिक्षा लेना चाहिए की हम किसी और का सिस्टम इस्तेमाल के पहले पूरी सावधानी बरतें। साथ ही किसी दूसरे की ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते समय उसे एंटी वायरस प्रोग्राम से स्कैन कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि उससे आपके डेटा को कोई नुकसान नहीं हो।

**(लेखक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर इंदौर में पदस्थ हैं और विचार उनके व्यक्तिगत हैं)**
ईमेल: varunkapoor170@gmail.com